

:: परिपत्र ::

महालेखाकार, राजस्थान द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के कार्यों की,की गई समीक्षा में यह ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न कार्यों पर "ग्रेनुलर/डब्ल्यू बी एम सरफेस" पर 'टेक कोट' का रू0 4/- प्रति वर्ग मीटर से भुगतान किया गया है एवं उसी क्षेत्र में पुनः 20 एमएम पी0एम0सी0 लेयर पर रू0 3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से पुनः 'टेक कोट' का भुगतान भी किया गया है इस प्रकार 'टेक कोट' का दो बार भुगतान 'मोर्थ' की विशिष्टियों के प्रावधानों के विपरीत है। अतः 20 एमएम पी0एम0सी0 की लेयर पर 'टेक कोट' के भुगतान की समस्त राशि संवेदकों से वसूली योग्य है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि दो बार 'टेक कोट' के भुगतान के मामलों का विवरण एवं इसकी समस्त राशि की वसूली से मुख्यालय को अवगत करावें।

[Handwritten Signature]

मुख्य अभियन्ता, 25/11/2005
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :- 836

दिनांक:- 25/11/2005

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता(एनएच) / (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी(एनएच) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर।
7. अति0 मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग.....(समस्त)।
8. अधीक्षण अभियन्ता(एनएच) / (पथ) / (पीएमजीएसवाई) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त.....(समस्ता)।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड.....(समस्त)।
11. अनुभाग अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग,.....(समस्त)।

[Handwritten Signature]

मुख्य अभियन्ता, 25/11/2005
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

21/11/06